निर्मल ग्राम पुरस्कार समारोह के अवसर पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील का अभिभाषण

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2009

मुझे निर्मल ग्राम पुरस्कार समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर प्रसन्नता हो रही है। मैं निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं से कहना चाहूंगी कि स्वच्छता तो आपने कर ली है, मगर उसको बनाए रखना भी जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके लिए आप सदैव अपना योगदान करते रहेंगे।

पिछले वर्ष यह पुरस्कार समारोह हिसार, गुवाहाटी तथा पुणे में हुआ था। मैं निर्मल ग्राम के कार्यक्रमों को बहुत महत्त्व देती हूँ। इसीलिए, इन तीनों समारोहों में, आपके साथ शामिल होने का अवसर मैंने नहीं खोया। मुझे यह बताया गया है कि पंचायतों की भागीदारी के सहयोग से इस वर्ष भी सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान ने लोगों में काफी उत्साह पैदा किया है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अब जनमानस के अभियान का रूप लेने के रास्ते पर चल पड़ा है।

स्वच्छता सभ्य समाज का एक विशिष्ट गुण है। हमारे शास्त्रों में भी स्वच्छता के महत्त्व का वर्णन किया गया है। दक्ष स्मृति में कहा गया है—

शौचाचार विहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः।

अर्थात् स्वच्छता और आचार रहित व्यक्ति की सारी क्रियाएं निष्फल होती हैं। इसलिए हमें अपने आचार-विचार और परिवेश की स्वच्छता बनाए रखने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें खुद को स्वच्छ रखने के साथ-साथ अपने आस-पड़ोस को भी स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ बर्तन, स्वच्छ घर, स्वच्छ परिसर में रहकर बड़ा ही आनंद और उल्लास का अनुभव होता है।

स्वच्छता अभियान का उद्देश्य मानव गरिमा को भी बनाए रखना है। इससे हमारे प्राचीन सभ्य समाज की नींव और मजबूत होती है। हमें प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने तथा सौहार्द और सहनशीलता का वातावरण बनाए रखने के लिए प्रयास करने

चाहिए। प्रकृति के सभी उपहारों का इस्तेमाल भी हम इस तरह से करें कि भावी पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सकें।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने संदेश में ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए इस बात को भी प्राथमिकता दी थी कि गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को स्वच्छता संबंधी नियमों की जानकारी हो और वे इन्हें पूरी तरह से अपनाएं। स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। गंदगी से जल, वायु और हमारा सारा रहन-सहन दूषित हो जाता है और बीमारियां फैलती हैं। उदाहरण के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष 15 लाख बच्चों की मृत्यु डायरिया के कारण होती है। बाल मृत्यु का यह एक सबसे बड़ा कारण है। यह एक जलवाहित बीमारी है जिसकी रोकथाम साफ-सफाई रखने से की जा सकती है।

कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब लोगों को उसकी जानकारी हो तथा उसमें उनकी सक्रिय सहभागिता हो। जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री थी तो उस दौरान सरकारी सहायता से शौचालय निर्माण की एक योजना चलाई गई थी। इनका निर्माण इस ढंग से किया गया था जिससे कि कम्पोस्ट खाद भी बनाई जा सके। इस कार्य में युवाओं को भी शामिल किया गया था जो खाद को सस्ते दामों पर बेचते थे। इससे उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचा, साथ ही यह योजना कामयाब हुई। शौचालय निर्माण की जो राशि पांच वर्षों में व्यय होनी थी, उसका पूरा इस्तेमाल दो वर्षों में ही हो गया। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें लोगों की सहभागिता थी।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान भी एक ऐसी योजना है जिसमें लोगों की भागीदारी है और जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण भी है। सिक्किम ने शतप्रतिशत स्वच्छता का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। अन्य राज्यों को इसके लिए प्रयास करने चाहिए। कार्यक्रम के कार्यान्वयन से हमें सर्वोत्तम तरीकों का पता चलता है और हमारी जानकारी बढ़ती है। दोनों से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। सर्वोत्तम तरीकों की एक सूची बनाई जानी चाहिए जिससे कि सभी भागीदार उससे लाभान्वित हो सकें। सूचना के प्रसार से जहां एक ओर हम उन्नत तकनीकी से शौचालयों का बेहतर निर्माण और प्रबंधन कर पाएंगे वहीं दूसरी ओर देश में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उच्च स्तर के मानक भी निर्धारित कर सकेंगे।

स्वच्छ भारत के निर्माण में बच्चों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। स्कूलों, आंगनबाड़ियों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शौचालयों की उचित सुविधाएं अवश्य

होनी चाहिए। घर के बाद बच्चों को स्कूलों में ही सीखने का मौका मिलता है। यदि उन्हें बचपन से ही नैतिक मूल्यों की जानकारी दी जाए तथा उनमें साफ-सफाई की अच्छी आदतें डाली जाएं तो ये शिक्षाएं उनके जीवन भर काम आएंगी। बालिकाओं के संबंध में स्वच्छता का और अधिक महत्त्व है। क्योंकि प्राय: यह देखने में आता है कि बालिकाएं बीच में ही स्कूल जाना इसलिए भी बंद कर देती हैं कि वहां शौचालयों की सुविधा नहीं होती। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए।

गाँवों में 'संपूर्ण स्वच्छता अभियान' में महिलाओं की भूमिका को प्रमुखता दी जानी चाहिए। घर में ही शौचालयों की सुविधा उपलब्ध करवाकर महिलाओं का आत्म सम्मान और गरिमा बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। जब वे स्वच्छ वातावरण में रहेंगी तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मैं चाहती हूँ कि गाँवों में महिलाओं के स्वसहायता समूह, आंगनबाड़ी और अन्य महिला संस्थाएं गाँवों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और इसी तरह इस अभियान का एक हिस्सा बनें।

सुलभ इंटरनेशनल जैसे कुछ संगठन हैं जो देश में साफ-सफाई के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे मैला ढोने वाली उन महिलाओं से अपनी मुलाकात याद है जिन्हें सुलभ इंटरनेशनल अपने साथ संयुक्त राष्ट्र ले गया था। वे इन महिलाओं को इस काम से अलग करके, शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान कर, उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। लेकिन यह दु:ख की बात है कि मैला ढोने की प्रथा अभी भी देश के कुछ भागों में प्रचलित है जबकि कानूनी तौर पर इस पर प्रतिबंध है। समाज को इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए तभी हम एक आदर्श समाज स्थापित कर सकते हैं। इस कार्य के लिए निर्धारित समयबद्ध लक्ष्यों का अनुपालन करते हुए उनके पुनर्वास की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

भारत विश्व का एक विशालतम लोकतांत्रिक देश है। इस पर हमें गर्व है। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर निर्वाचित संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्णय लिए जाने से लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। हमारे देश में 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। पंचायती राज संस्थाएं हमारी शक्ति हैं और साथ ही जनता और प्रशासन के बीच सतत संवाद के लिए एक प्रभावी मंच भी हैं।

हमारे देश की 70 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है। उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना, शिक्षा,

स्वास्थ्य, स्वच्छ पेय जल, बिजली की व्यवस्था करना, उनमें सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने की जागृति लाना तथा पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जो ग्रामीण विकास के लिए जरूरी हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे गांवों में उत्पादकता बढ़ाने वाली आर्थिक क्रियाओं के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ग्रामीण जनता को प्रगति का केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें इसमें अपनी भागीदारी भी करनी होगी। पंचायती राज संस्थाओं को गांवों की समस्याओं और प्राथमिकताओं की जानकारी रहती है क्योंकि लोगों के साथ उनका सीधा सम्पर्क रहता है। इसलिए सभी विकास कार्यों के सफल कार्यान्वयन में वे अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मेरा मानना है कि विकास कार्यों का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचना चाहिए। तभी विकास कार्यों की सफलता है। इसके लिए कार्यान्वयन पक्ष मजबूत बनाना होगा।

अंत में, मै यह कहना चाहूंगी कि गांवों को निर्मल ग्राम बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों को मैं अपना पूरा समर्थन देती हूँ। गत वर्ष समारोह में मैंने यह सुझाव दिया था कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को स्वच्छता अभियान का एक अहं हिस्सा बनाया जाए। मुझे खुशी है कि यह सुझाव मान लिया गया है और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में इसे शामिल कर लिया गया है। मैं उनसे यह आग्रह करना चाहूंगी कि वे अपने-अपने गांवों को सम्पूर्ण 'निर्मल ग्राम' बनाने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखें। अब मैं यह उम्मीद करती हूँ कि जो गांव एक बार निर्मल ग्राम बन गए हैं, वे सदैव निर्मल ग्राम बने रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय को उनके प्रयासों के लिए और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी को इस अभियान के प्रति उनके समर्पण और नेतृत्व के लिए बधाई देती हूं। मैं सभी निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेताओं और यहाँ उपस्थित प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ।

जय हिन्द।